

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बिजनौर।


पत्रांक : एस0एस0ए0 / 163

/2023-24 दिनांक 16/05/23

आर0टी0ई0 प्रमाण

प्रमाणित किया जाता है कि दयावती धर्मवीरा पब्लिक स्कूल बिजनौर द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत प्रतिवर्ष छात्र-छात्राओं को निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। उक्त विद्यालय आर.टी.ई. के अन्तर्गत संचालित है।


PRINCIPAL
 DAYAVATI DHARMAVIRA PUBLIC SCHOOL
 SENIOR SECONDARY
 BIJNOR


 (जयकरन यादव)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
 बिजनौर


 Manager
 Dayavati Dharmavira Public School
 (Senior Secondary)
 BIJNOR-246701 (U.P.)